

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): सीजेरियन प्रसव

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4.2.c

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

कुल प्रसव में जिटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा-बच्चा की जान बच सके। सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में c-section का अनुपात 1% से भी कम है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिलों के सरकारी अस्पतालों में c-section की सुविधा देना चाहनीय है।

इकाई राशि (रु० में) : 1500/-

वित्तीय दिशा निर्देश :

अगर किसी सरकारी अस्पताल में c-section प्रसव किया गया है तो डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, पारामेडिक तथा RKS को निम्न प्रकार प्रोत्साहन राशि देय होगी –

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद में 500 रुपए देय राशि को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगे जिसका उपयोग अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु किसी भी गतिविधियों में किया जा सकता है एवं जैसे Labour Room repair, OT Renovation (Tiles flooring, AC etc.)/ गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/68/2009-II/20074, Date:-22/09/2010 (संलग्न)


संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

S Kumar

Jam S

P



State Health Society, Bihar

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेषपुरा, पटना 800014
 Pariwar Kalyan Bhawan, Shekhpura, Patna-800014
 Phone : 0612 3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
 Website : www.shsbihar.org E-mail : info@shsbihar.org



रंजय कुमार, भाग्नोरो
 सचिव स्वास्थ्य-सह-
 कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:-SHSB/MCH/ 68/2009-II/.....

सेवा मे,

सभी रिविल सर्जन-राह-सदस्य रायिव
 जिला स्वास्थ्य समिति,
 बिहार

पटना, दिनांक:-...../09/2010

विषय:- वजट शीर्ष A.1.4.2.3 एवं कार्यक्रम “सीजेरियन प्रसव करने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि” के वित्तीय दिशा-निर्देश -2010-11 में संशोधन के संबंध में।
 महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य में कुल प्रसव में जाटेल प्रसव का अनुपात 15% है जबकि 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि उच्च वर्ग की जान वय सके। सरकारी अस्पतालों में ही रहे प्रसव में c-section का अनुपात 1% से भी कम है।

अतः नातृ पाणि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एवं सरकारी अस्पताल में ही रहे c-section प्रसव की अनुपात में कमी को देखते हुए दिनांक-16.08.2010 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की अधिकारी ने हुई 8वीं एकांकिक विभिन्न की दैत्यक के निर्णयोपरात राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रक-18281, दिनांक 08/07/2010 के साथ ऐंगित दिशा-निर्देश-2010-11 के वजट शीर्ष A.1.4.2.3, कार्यक्रम का नाम- सीजेरियन प्रसव करने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि” के वित्तीय दिशा-निर्देश में पूरीलिखित शर्तें (कुल प्रसव का 5% c-section के उपरांत किए गए प्रत्येक c-section प्रसव/case पर प्रोत्साहन राशि देय) की संशोधित कर प्रोत्साहन राशि (यथादर्त) प्रत्येक case पर निम्नान्तराखितनुसार देय है-

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद्दे 500 रुपए देय राशि को प्रभारी विकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में लगा करेंगे। इस राशि का उपयोग गरीबी ऐसा सी नीचे के भरीजों के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसी अल्कालिक प्रभाव से लागू समझें।

विश्वासभाजन
 ८०/-

ज्ञापांक:- २८०७५

पटना, दिनांक:- 22/09/2010

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अधिक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राज्य सचिव कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी विकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ को प्रेषित।

(S. Kumar)
 (संजय कुमार)